प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: **15/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

निर्भय सिंह राणावत पुत्र भंवर सिंह राणावत पता: मु.पो. बरोडिया, खेरोदा, तहसील–भीण्डर, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 19/2/25

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 06.12.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर को दिये गये परिवाद दिनांक 27.10.2024 पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/15/25/66–67 दिनांक 21.01.2025 से प्रत्यर्थी को तथा समसंख्यक पत्रांक 118–20 से सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, उदयपुर को लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर ने जरिये पत्रांक: प./41/2/सू.अ/प्रथम अपील/15/25/72 दिनांक 23.01.2024 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.01.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध कार्यालय सहायक निदेशक लोक सेवाए, उदयपुर से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 41–42 दिनांक 14.01.2025 द्वारा उक्त कार्यालय को अंतरित कर दिया गया एवं उक्त अंतरण के संबंध में प्रार्थी को भी सूचित कर दिया गया था। अतः प्रथम अपील निरस्तारित करने की कृपा करावें।

सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, उदयपुर ने जरिये पत्रांक F()सनिलोस/RTI/2023/636 दिनांक 31.01.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2024 लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पत्रांक 41–42 दिनांक 14.01.2025 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय को अंतरित किया गया था। सूचना का संबंध मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से संबंधित होने से कार्यालय के पत्रांक 633 दिनांक 29.01.2025 द्वारा सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(3) के तहत संबंधित अधिकारी को अंतरण कर दिया गया था। जिसकी सूचना प्रार्थी को भी दी गई थी। उक्त प्रथम अपील का

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

संबंध इस कार्यालय से न होकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से है। अतः निवेदन है कि उक्त अपील कार्यालय से संबंधित नहीं होने से निरस्त कराने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना का संबंध कार्यालय सहायक निदेशक लोक सेवाएं, उदयपुर से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत उनके कार्यालय पत्रांक 41–42 दिनांक 14.01.2025 द्वारा अंतरित कर दिया गया एवं उक्त अंतरण के बारे में अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया गया। सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का संबंध मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से होने से कार्यालय के पत्रांक 633 दिनांक 31.01.2025 से अंतरित किया गया है, एवं इस अंतरण की सूचना भी अपीलार्थी को प्रेषित कर दी गई थी।

उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी को चाहिए कि वह सक्षम अपीलीय अधिकारी(जिला प्रमुख, उदयपुर) के समक्ष अपील प्रस्तुत करें। साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी, सहायक निदेशक लोक सेवाएं को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अंतरण योग्य प्राप्त आवेदन को निर्धारित अवधि में अंतरित किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/2/25 को लिखवाया जाकर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर